



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042023-245249
CG-DL-E-19042023-245249

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1698]
No. 1698]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 18, 2023/चैत्र 28, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 18, 2023/CHAITRA 28, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2023

का.आ. 1778(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.5889(अ), तारीख 16.12.2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के एलुरु जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 516डी के (देवरापल्ली -जिलुगुमिल्ली सेक्शन) कि.मी. 30.500 से कि.मी.31.050 तक के भूखण्ड पर (चौड़ीकरण / पेव्ड शोल्डर सजहत दो / चार लेन का बनाना आदि) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "21.12.2022" को "आंध्र प्रभा (तेलुगु)" और "डेक्कन क्रॉनिकल (इंग्लिश)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के एलुरु जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 516डी के (देवरापल्ली -जिलुगुमिल्ली सेक्शन) कि.मी. 30.500 से कि.मी. 31.050 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश जिले का नाम: एलुरु					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: जंगारेडुगुडेम					
गांव का नाम: जंगारेडुगुडेम					
1	247/6A	निजी	ड्राई	0.0162	मुत्थाला वरलक्ष्मी व / ओ सूर्यनारायण (247/6ए2)
2	247/8A	निजी	ड्राई	0.0688	रेड्डी सीता रत्नम व / ओ सत्यनारायण (247/8ए2)
तालुक का नाम: कोय्यलागुडेम					
गांव का नाम: बय्यनागुडेम					
1	42/1	निजी	ड्राई	0.0809	रमिनी सत्य सई स/ओ सत्यनारायण (42/1ए2)
2	42/1	निजी	ड्राई	0.0121	रमिनी श्रीनु एँस्/ओ गंगराजु (42/1ए3)
3	42/2	निजी	ड्राई	0.0648	रमिनी श्रीनु एँस्/ओ गंगराजु (42/2ए2)
4	42/3	निजी	ड्राई	0.0243	काकरला सत्यनारायण एँस्/ओ सुरय्या (42/3ए3)

5	42/3	निजी	ड्राई	0.0041	काकरला श्रीनु एंस्/ओ सुरय्या (42/3ए3)
			कुल	0.2712	

[फा. सं. : REV02/451/2022-LAND.SEC/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2023

S.O. 1778(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O No. 5889(E) Dated 16.12.2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (Widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.) Maintenance, management and operation of NH516D on the stretch of land from Km 30.500 to Km 31.050 (Deverapalli-Jeelugumilli Section) in the district of Eluru in the state of ANDHRA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Andhra Prabha* (Telugu)” and “*Deccan Chorinival* (English)” both dated 21.12.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from NH516D Km. 30.500 to Km. 31.050 (Deverapalli-Jeelugumilli Section) in the district of Eluru in the state of ANDHRA PRADESH.

State: ANDHRA PRADESH			District: Eluru		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Jangareddygudem				
	Village: Jangareddygudem				
1	247/6A	Private	DRY	0.0162	Mutyala Varalakshmi W/O Suryanarayana 247/6A2

2	247/8A	Private	DRY	0.0688	Reddy Seetha Ratnam W/O Satyanarayana 247/8A2
	Taluk: Koyyalagudem				
	Village: Bayyanagudem				
1	42/1	Private	DRY	0.0809	Ramini Satya Sai S/O Satyanarayana 42/1A2
2	42/1	Private	DRY	0.0121	Ramini Srinu S/O Gangaraju 42/1A3
3	42/2	Private	DRY	0.0648	Ramini Srinu S/O Gangaraju 42/2A2
4	42/3	Private	DRY	0.0243	Kakarla Satyanarayana S/O Surayya 42/3A3
5	42/3	Private	DRY	0.0041	Kakarla Srinu S/O Surayya 42/3A3
			TOTAL	0.2712	

[F. No. : REV02/451/2022-LAND.SEC/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.